28.12.2018 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 611 दिनांक 13.12.2018 के संलग्न अपील संख्या 093/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2018 की प्रति सहीत इस न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है। पत्र को शामिल पत्रावली किया जाकर निर्णय का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.03.2013 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया है, कि अपीलान्ट को पक्षकार संशेजित करते हुए जबाबदेही का अवसर देकर जबाब प्राप्त करते हुए उभपक्ष को विधिवत सुना जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रकरणों हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

पत्रावली को पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर की जावे तथा वकील उभयपक्ष को सूचित किया जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15/1/19 को पेश हो

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

07.01.2019 प्रतिवादीया रेखा धवन जरिये अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया प्रार्थना पत्र के संलग्न आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र को शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2013 के द्वारा विवादित आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत आराजीराज घोषित किया गया था माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 703 से राजस्व अभिलेख में भूमि को आराजी राज दर्ज कर दिया गया था।

विवादित आराजी पर प्रतिवादीया हितबद्ध पक्षकार होनें के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 22.03.2013 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया है, कि अपीलान्ट को पक्षकार सयोजित करते हुए जबाबदेही का अवसर देकर जबाब प्राप्त करते हुए उभयपक्ष को विधिवत सुना जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रकरणों हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

ऐसी सूरत में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खातेदार राधिका आहुजा के नाम दर्ज की जानी इसाफन आवश्यक है प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की जिरये पंजीकृत बैयनामें से खरीददार है इस कारण राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया के नाम दर्ज किया जाना इसाफन आवश्यक है।

राधिका आहूजा

राजस्व वाद संख्या ...../2018 अनवान सरकार बनाम ~~रेखा धवन~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

..... लगातार

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रतिवादीया रेखा धवन द्वारा विवादित आराजी को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.11.2012 को विवादित आराजी को क्रय किया गया है, जिसका नामान्तरकरण भी आदिनांक तक नहीं हुआ है। प्रतिवादीया द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत कथन किया है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीया का कब्जा है, तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादीया के नाम दर्ज हो जानें के एक माह के अन्दर अन्दर उक्त भूमि का निर्धारित भू.रूपान्तरण शुल्क अदा कर भू. रूपान्तरण करवा लेगी।

चुंकि विवादित आराजी के सन्दर्भ में इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2013 माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा प्रतिवादीया रेखा धवन द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यदि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादीया के नाम दर्ज हो जाता है, तो एक माह के अन्दर अन्दर भूमि का नियमानुसार भू. रूपान्तरण करवानें हेतु निर्धारित राशि जमा करवा देगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे विवादित आराजी के सम्बंध में नियमानुसार पूर्ण जांच कर नामान्तरकरण प्रतिवादीया रेखा धवन के नाम करें यदि प्रतिवादीया द्वारा नामान्तरकरण दर्ज होनें के एक माह के अन्दर अन्दर विवादीत आराजी को नियमानुसार भू रूपान्तरण नहीं करवाती है तो तहसीलदार पुनः धारा 177 आर.टी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही करनें हेतु स्वतन्त्र है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिंनाक 07.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर